eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

मानवाधिकार और घरेलू हिंसा

[1]डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार
[1]एसो0 प्रोफेसर हिन्दी विभाग, श्री अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर (झाँसी) उ0प्र0

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 32 अनुच्छेद है। मानवाधिकारों की रक्षा करने का दायित्व संयुक्त संघ की संस्था महासभा को दिया गया। महासभा विश्व के सभी देशों के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मानवों पर बड़ा अत्याचार हो रहा था। नागरिकों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देश स्वतंत्र हुए। सबसे बड़ा मुद्दा मानव अधिकारों की रक्षा का था। मानवाधिकारों की विश्व व्यापी घोषणा मानव जाति के लिए अधिकारों व स्वतंत्रताओं का एक विशेष चार्टर है। यह घोषणा के बल सिद्धान्तों का एक विवरण मात हैं, न कि कानूनी रूप में बन्धनकारी नियमों व दायित्वों का विवरण फिर भी यह विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 'प्रलेख' माना जाता है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की व्याख्या करने वाला प्रलेख है इसलिए इसका भी उतना महत्व है जितना स्वंय चार्टर का श्रीमती एजर्वेल्ट ने इस घोषणा पत्र को समस्त मानव–समाज का मैग्नाकार्टा कहा था।

शब्द संक्षेप– सम्बन्धित कानून, मानवाधिकार और घरेलू हिंसा

Introduction

चार्ल्स मलिक ने कहा है कि 'यह घोषणा–पत्र केवल प्रस्ताव मात्र न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनेक प्रस्ताव उक्त घोषणा के सिद्धान्तों पर आधारित है। इस घोषणा के अनेक अनुच्छेदों को शांति सन्धियों, न्याय समझौतों व नये राज्यों के संविधानों में शामिल कर लिया गया है। मानवाधिकारों की विश्व व्यापी घोषणा में लिखित मानव अधिकार समाज के स्वरूप का एक बुनियादी अंग बन गये है। अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व बन्धुत्व की भावना को दृढ़ व स्थायी बनाने के लिए इन अधिकारों का सहारा लिया जाने लगा है। यह घोषणा स्वाधीनता और सम्मान के लिए संघर्षरत लोगों व उनके द्वारा प्राप्त की गई स्वाधीनता के प्राप्ति के लिए पैमाना सिद्ध हुई है। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर 'मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

मानवाधिकार शब्द भले ही नया प्रतीत हो किन्तु इसकी अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव जाति। मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है। इसमें लिंग, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, देश आर्थिक स्थिति जैसे भेदभाव मूलक विचारों को त्याग कर मानव जाति के सम्पूर्ण विकास, संरक्षण तथा सम्मान का जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 में मानवाधिकार से सम्बन्धित

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

अधिकार प्राप्त है। आज इन्ही अधिकारों की वजह से हम सुरक्षित और संरक्षित है, परन्तु हम प्रायः देखते हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन घड़ल्ले से किया जा रहा है। हमें खुद अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। 'हमारे भारतीय समाज में मानवाधिकारों का सर्वाधिक हनन निर्धन गरीब व्यक्तियों का या नारियों का होता है। पुलिस विभाग को भी मानवाधिकारों के हनन में सर्वाधिक दोषी पाया जाता है। बाल श्रमिकों का नियोजन, बन्धुआ मजदूर की प्रथा, आदिवासियों का शोषण,, बड़े बॉध, जलाशयों विधुत परियोजनाओं के निर्माण में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों का विस्थापन, जंगल और जमीन पर जन सामान्य के अधिकारों की अस्वीकृत आदि मानवाधिकारों का खुला उल्लघंन है। इस प्रकार के प्रकरणों में आये दिन नागरिक अधिकार संबंधी संगठनों द्वारा आवाज उठाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में मानवाधिकारों के उल्लघंन से संबंधित अनेक मुकदमें केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विरूद्ध होते हैं। अधिकांश मामलों में सरकार ही दोषी पायी जाती है। कहने का आशय यह है कि जब सरकार ही मानवाधिकारों का उल्लघंन करने को तत्पर है तो सामान्य जन अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते है। यह विडम्बना ही तो है।[1]'

इन अधिकारों के संरक्षण के बाबजूद समाज में अधिकारों का हनन हो रहा है घरेलू हिंसा के अन्तर्गत केवल पत्नी ही नहीं वरन् मॉ, बहन, विधवा, के साथ–साथ परिवार के किसी भी सदस्य पर शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक तथा भावनात्मक उत्पीड़न को माना गया है। सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है। आज स्त्री के प्रति अपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है बल्कि घरेलू हिंसा में भी अधिक वृद्धि हो रही हैं घरेलू हिंसा का सम्बंध घर गृहस्थी में स्त्री का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीडन है। विवाह के समय स्त्री सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम शान्ति व भात्म उपलिब्ध का जीवन शुरू होगा। लेकिन इसके विपरीत हजारो विवाहित स्त्रियों के यह सपने क्रूरता से टूर जाते है। वे पति द्वारा मार–पीट और यातना की अन्तहीन लम्बी अँधेरी गुफाओं में अपने आपको पाती हैं जहाँ उनकी चीरव–पुकार सनने वाला कोई नही होता। दुख तो यह है कि ऐसी मार पीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा अनुभव होती है और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप रहने की सलाह दी जाती है। पड़ोसी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि यह पति–पत्नी के बीच एक निजी मामला समझा जाता है। यदि पुलिस में रिपोर्ट करने जाये तो वहाँ भी पुरुष प्रधान संस्कृति में पले पुलिस अधिकारी पहले स्त्री का ही मजाक उड़ाते है की और रिपोर्ट लिखने में आना कानी करते हैं। पुरुष को पत्नी की पिटाई का निरपेक्ष अधिकार है तो और आम आदमी भी यह मानकर चलता है कि स्त्री पिटने लायक ही होगी। अतः पिटेगी दुर्भाग्य की बात है, कि उधर से शांत और सम्मानित प्रस्थिति वाले अनेक परिवारों में जहाँ पति–पत्नी दोनों शिक्षित और आत्म–निर्भर भी मारपीट की घटनाएं हो जाती है और यह कि नियमितता का रूप लेने लगती है। कहीं–कही पिता भी अपनी अविवाहित बेटियों के साथ बहुत– मार पीट करते हैं। ऐसी स्थिति में सामजिक दृष्टि से स्त्री बड़ा असहाय महसूस करती है क्योंकि वह यहाँ कहीं शिकायत करे, चाहे पड़ोसी हों, चाहे उसके सगे–सम्बंधी चाहे पुलिस, वकील या जज से भी समझौता करने की सलाह देते है।

घरेलू हिंसा के संरक्षण के लिए भारतीय संसद द्वारा अधिनियम, 2005 पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करना हैं।[2] आज यह स्थिति

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

नजर आ रही है कि भारत में घरेलू हिंसा में महिलाओं के अलावा पुरूष, बच्चे, किशोर और बुजुर्ग महिला और पुरूष भी होते हैं। इनमें महिलाओं को पति–पत्नी के बीच बहस, अच्छा खाना न बना पाना, यौन सम्बन्ध, दहेज विवाद, बच्चों की वजह से मतभेद, बिना बताये घर से बाहर जाना आदि द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। वही पुरूषको आय का कम होना, शराब का सेवन, पुरूषों का बांझपन, पत्नी के निर्देश का पालन न करना आदि घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे है क्योंकि उनको पास रखना, उन पर पैसा खर्च करना, उनसे दूर होने के लिए उन्हे पीड़ित करना, उनके साथ गाली–गलौज मार पिटाई करना भी देखने को मिलता है जो घरेलू हिंसा का बड़ा कारण बनता है। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली सन् 2022 में घरेलू हिंसा के खिलाफ 6900 से अधिक शिकायतें दर्ज की हैं। आज भारत में कर्नाटक, बिहार, मनीपुर, तेलंगाना, असम, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा तथा लद्दाख सर्वाधिक घरेलू हिंसा वाले राज्य है। 44% के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर है। 'घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून लागू तो हो गया लेकिन यह कितना क्रियान्वित हुआ है ये सोचने का विषय है केवल इस तरह के कानून बनने से अपराध खत्म नहीं हो सकता है बल्कि इसे क्रियान्वितित भी करना होगा। हमारे समाज की महिलाएं परिवार टूटने, बच्चे के लालन–पालन व समाज के डर से अपराधी के विरूद्ध कोई कदम नहीं उठा पाती। पूर देश में अभी तक कानून को पूरी तरह अपनाया नहीं गया है। महिलाएं परिवार व समाज के डर से चुप रहती हैं। घरेलू हिंसा निवारण कानून को लागू हुए कई साल हो गया। इस दौरान इस कानून के पक्ष और विपक्ष में खूब प्रतिक्रियाए भी प्राप्त हुई। हाल ही में केन्द्र सरकार ने सभी सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित राज्यों से घरेलू हिंसा कानून लागू करने के लिए तुरन्त जरूरी कदम उठाने को कहा है इस कानून को ढंग से लागू करने के लिए काउंसलरों की भी जरूरत होती है और विभिन्न राज्यों में काउंसलरों की कमी को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से काउसलिंग में डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का अनुरोध किया है ताकि पुरूष और महिला दोनों इसका लाभ उठा सके।'[3]

यही नहीं मानवाधिकारों की वजह से घरेलू हिंसा के समाधान के लिए हमें मानसिकता में सुधार लाना होगा। बेरोजगारी, किसानों की आत्म हत्या, जाति द्वेष, धार्मिक टिप्पणी, आतंकवाद, जबरन विस्थापन आदि में बदलाव लाये बिना कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इन सबमें सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के शिकार में महिलाओं को ही शिकार होना पड़ता है। आज हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना होगा तभी इसमें परिवर्तन की गंजाइस बनेगी।

संदर्भ ग्रंथ–

1. परीक्षा मंथन निबन्ध, सम्पादक, अनिल अग्रवाल, प्रयागराज, पृ0– 14
2. योजना, अंक जून, 2012, पृ0 –53
3. महिला विधि, डॉ0 निशान्त सिंह, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0–181